आई आई आई टी डी एम जे/रा.भा./07/89
दिनांक 15 जुलाई 2025

अधिसूचना/Notification

सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान में राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है:

1. **फाइलों में हिंदी टिप्पणियाँ**:

   वर्तमान में कार्यालय फाइलों में हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत मात्र **27.6%** है, जबकि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार यह न्यूनतम **80%** होना चाहिए। अतः सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी इस दिशा में प्रयास करें एवं हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत बढ़ाएं।

2. **रजिस्टरों में हिंदी प्रविष्टियाँ**:

   कार्यालय में रखे जा रहे समस्त रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टियाँ बढ़ाई जाएं। हिंदी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

3. **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन**:

   यह देखा गया है कि कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 की **धारा 3(3)** का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज, जैसे — सामान्य आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएँ, निविदा सूचना, अनुबंध आदि — **अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेज़ी)** में ही जारी किए जाएं।

उपरोक्त निर्देशों का पालन तत्परता से किया जाना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें।

15-07-2025

संतोष महोबिया/Santosh Mahobia
उप कुलसचिव, राजभाषा विभाग/Deputy Reg., Rajbhasha Adhikari

प्रतिलिपि: –

1. निदेशक महोदय हेतु सूचनार्थ प्रेषित
2. कुलसचिव
3. सभी संकाय सदस्य/अधिकारी/कर्मचारी
4. संगणक केन्द्र (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)